प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

संख्याः 5/शा0/646/2013–5/43(A)/2012 लखनऊ दिनांकः 10 दिसम्बर ~~अक्टूबर~~, 2013

**विषयः निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के मानकीकरण हेतु लगी रोक को हटाने के सम्बंध में।**

**महोदय,**

उपयुर्क्त विषयक आपको संबोधित एवं समस्त जिलधिकारियों को पृष्ठांकित निदेशालय के पत्र सं 5/1153/2012–5/43/2012 दिनांक 01 नवम्बर 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के मानकीकरण एवं पारदर्शिता तथा एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से आई.ई.सी./एच.आर. डी. गतिविधियों के कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी थी।

2– उक्त कम में आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों के मानकीकरण हेतु निदेशालय स्तर पर कमेटी गठित की गयी। गठित समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिये गये Suggestive list of activities(परामर्शी गतिविधियां)/सुझाव शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।

3– संदर्भित प्रकरण में प्रमुख सचिव पंचायतीराज, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0 2355(1)/33–3–2013–34/2013 दिनांक 28 अक्टूबर 2013 द्वारा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आई.ई. सी./एच.आर.डी. गतिविधियों पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए आई.ई.सी./एच. आर.डी. गतिविधियों के संचालन के संबंध में संयुक्त निदेशक पंचायतीराज की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार आई.ई.सी./एच.आर.डी. कार्यकलापों/गतिविधियों को संचलित किये जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गयी है। दरों/विशिष्टियों के संबंध में स्टोर परचेज रूल्स, अन्य वित्तीय संगत नियमों तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

4– निर्मल भारत अभियान के सफल कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला स्वच्छता समिति परामर्शी गतिविधियों में से आवश्यकतानुसार गतिविधियां चयन कर सकती हैं। इस संबंध में कार्यवाही जनपद स्तर पर हीं जिला स्वच्छता समिति के स्तर से नियमानुसार वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए की जानी है।

अतः शासन द्वारा स्वीकृत Suggestive list of activities(परामर्शी गतिविधिया)/सुझाव की प्रति संलग्न करते हुए निदेर्शित किया जाता है कि दिये गये सुझावों एवं समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्मल भारत अभियान की मार्ग दर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आई.ई.सी./एच.आर.डी. गतिविधियों का कियान्वयन जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाय।

<u>संलग्नकःउपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

(सौरभ बाबू)

निदेशक

पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या:5 /[illegible]/6[illegible]/1/2013 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3– समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति, उ0प्र0।

4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति, उ0प्र0।

5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

(गिरीश चन्द्र)
उपनिदेशक(पं0)
पंचायती राज, उ0प्र0।